

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

ਜਂ. 959] No. 959]
 PUBLISHED BY AUTHORITY

 नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2015/वैशाख 18, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2015/VAISAKHA 18, 1937

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2015

का.आ.1233(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 15 मई, 2013 को प्रकाशित ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में, खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ढ) इस आदेश के प्रयोजन के लिए "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो देश में वितरित या विक्रय करने के लिए ओषधियों का विनिर्माण या आयात या विपणन करता है:'।

[फा.सं. 31011/1/2013-पीआई-II (भाग)]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

2056 GI/2015 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2015

S.O. 1233(E). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the Drugs (Price Cotnrol) Order, 2013 issued by the Minister of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th May, 2013, namely:—

In the said order, in para 2, for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:—

(n) "manufacturer" for the purpose of this Order means any person who manufactures or imports or markets drugs for distribution or sale in the country;'.

[F. No. 31011/1/2013-PI-II(Pt)]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.